भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 811
24, जुलाई 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

शहरी जल निकासी प्रणालियों का आधुनिकीकरण

811. श्री तंगेला उदय श्रीनिवासः

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में उचित जल निकासी प्रणालियों द्वारा कवर किए गए शहरी क्षेत्रों का प्रतिशत कितना है और राज्यवार कितने शहर और कस्बे अभी भी खुले नालों पर निर्भर हैं;

(ख) प्रमुख शहरों में मौजूदा वर्षा जल और सीवेज जल निकासी नेटवर्क की कुल लंबाई, क्षमता और स्थिति क्या है, साथ ही उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जो जल निकासी से वंचित हैं, कम सेवित हैं या बाढ़-प्रवण हैं;

(ग) पिछले पाँच वर्षों के दौरान शहरवार शहरी बाढ़ और जलभराव की घटनाओं की सूचित संख्या कितनी है और ऐसी घटनाओं का अनुमानित सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या है;

(घ) पिछले पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) और स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) के अंतर्गत शहरी जल निकासी अवसंरचना के लिए आवंटित, स्वीकृत और उपयोग की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का बाढ़ प्रतिरोधक क्षमता और जलवायु अनुकूलन को बढ़ाने के लिए शहरी जल निकासी प्रणालियों के आधुनिकीकरण हेतु नए दिशानिर्देश, निवेश या प्रौद्योगिकियां शुरू करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख): भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार, शहरी स्तर पर शहरी नियोजन राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों के

अधिकार क्षेत्र में आता है, जो जल निकासी और सीवरेज व्यवस्था के रखरखाव के लिए ज़िम्मेदार हैं। भारत सरकार योजनाबद्ध हस्तक्षेपों/परामार्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। यह शहरी नियोजन इकोसिस्टम को मज़बूत करने के लिए राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। देश में जल निकासी व्यवस्था का राज्य-वार/शहर-वार आँकड़ा केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(ग) से (ङ) शहरी बाढ़ का प्रबंधन राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/ शहरी विकास प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो जल निकासी और सीवरेज प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। मुख्यतः, कम अवधि में अत्यधिक वर्षा की बढ़ती घटनाएं शहरी बाढ़ के लिए जिम्मेदार होती हैं, जो अनियोजित विकास, प्राकृतिक जलाशयों के अतिक्रमण, अपर्याप्त सीवर सिस्टम, अपर्याप्त वर्षा जल निकासी प्रणाली, अतिक्रमण आदि से और बढ़ जाती है। भारत सरकार योजनाबद्ध हस्तक्षेप/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। यह शहरी नियोजन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय केंद्रीय स्तर पर शहरी बाढ़ और शहरों में जल भराव की घटनाओं का विवरण नहीं रखता है।

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के अंतर्गत, वर्षा जल निकासी एक स्वीकार्य घटक था जिसमें बाढ़ को कम करने और बाढ़ की समस्या समाप्त करने के लिए नालियों/वर्षा जल निकासी नालियों का निर्माण और सुधार कार्य शामिल है। अमृत के अंतर्गत, 3016.82 करोड़ रु. लागत की 838 वर्षा जल निकासी परियोजनाओं को अनुमोदन दिया गया था। राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 2,401.38 करोड़ रु. लागत की 809 वर्षा जल निकासी परियोजनाएँ पूरी की जा चुकी हैं, जिसके परिणामस्वरूप 3,759 स्थानों पर जलभराव की समस्याओं को समाप्त किया गया है। राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

अमृत 2.0 के अंतर्गत, जलाशयों और कुओं का पुनरुद्धार मुख्य घटकों में से एक है। इसके अंतर्गत स्वीकार्य तत्वों में वर्षा जल को वर्षा जल नालियों के माध्यम से जलाशयों (जिसमें सीवेज/अपशिष्ट नहीं मिल रहा है) में संचयित करना शामिल है। अमृत 2.0 के अंतर्गत, अब तक 6,210.66 करोड़ रु. लागत की 3,032 जलाशय पुनरुद्धार परियोजनाओं को अनुमोदन दिया जा चुका है। राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम-यू) 2.0, 1 अक्टूबर, 2021 को शुरू किया गया था। एसबीएम-यू 2.0 में एक नया घटक अर्थात् प्रयुक्त जल प्रबंधन (यूडब्ल्यूएम) भी शामिल है, जिसके तहत 1 लाख से कम आबादी वाले शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए केंद्रीय हिस्से की निधियां जारी की जाती है ताकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी)/एसटीपी-सह-एफएसटीपी की स्थापना; एसटीपी तक पंपिंग स्टेशनों और पंपिंग मेन/ग्रेविटी मेन के प्रावधान सहित इंटरसेप्शन और डायवर्जन (आई एंड डी) संरचनाएं बिछाना और पर्याप्त संख्या में सेप्टिक टैंक डिस्लजिंग उपकरणों की खरीद जैसे कार्य शुरू किये जा सकें। एसबीएम-यू 2.0 के यूडब्ल्यूएम घटक के तहत आवंटित और वर्ष-वार जारी की गई निधि का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-III में दिया गया है।

स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) ने 100 शहरों में रेट्रोफिटिंग, पुनर्विकास और ग्रीनफील्ड विकास के माध्यम से क्षेत्र-आधारित विकास दृष्टिकोण अपनाया है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत आने वाले शहरों का विकास विभिन्न क्षेत्रों, जैसे स्मार्ट मोबिलिटी, जल, स्वच्छता, साफ़-सफाई (डब्ल्यूएएसएच), स्मार्ट गवर्नेंस, स्मार्ट ऊर्जा, पर्यावरण आदि, में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एचपीएससी) द्वारा अनुमोदित स्मार्ट सिटी प्रस्तावों (एससीपी) के आधार पर किया जा रहा है। जल स्वच्छता एवं साफ़-सफाई (वाश) के लिए, स्मार्ट सिटीज द्वारा अन्य मिशन/योजनाओं के साथ तालमेल से 49,621 करोड़ रु. की 1545 परियोजनाएँ शुरू की गई हैं, जिनमें से 47,396 करोड़ रु. की 1465 परियोजनाएँ पूरी की जा चुकी हैं। 11.07.2025 तक, एससीएम के तहत चयनित 100 शहरों में 1,64,695 करोड़ रु. की कुल 8063 परियोजनाओं में से, 1,53,977 करोड़ रु. की 7,636 परियोजनाएँ (कुल परियोजनाओं का 95%) पूरी की जा चुकी हैं और 10,718 करोड़ रु. की शेष 427 परियोजनाओं का कार्य चल रहा हैं। 31 मार्च, 2025 को एससीएम के बंद होने के साथ, इस वित्तीय वर्ष के लिए एससीएम के अंतर्गत कोई बजटीय आवंटन नहीं है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी जल निकास और बाढ़ प्रबंधन की स्थिति में सुधार करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज/परामर्शिका दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं, अर्थात:

i. शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निरूपण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014:
https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/URDPFI%20Guidelines%20Vol%20I(2).pdf

ii. शहरी बाढ़ के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)
https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/SOP%20Urban%20flooding_5%20May%202017.pdf

iii. 2021 में नदी केंद्रित शहरी नियोजन दिशानिर्देश, ताकि शहरों को प्रकृति-आधारित समाधान सहित संयुक्त जल प्रबंधन दृष्टिकोण विकसित करने में सक्षम बनाया जा सके।
https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/RCUP%20Guidelines.pdf
iv. वर्षा जल संचयन पार्कों के निर्माण पर मार्गदर्शी दस्तावेज़
https://mohua.gov.in/pdf/6566e1048ab41guidance-document-on-rainwater-harvesting-parks-final.pdf

*****

शहरी जल निकासी प्रणालियों के आधुनिकीकरण के संबंध में दिनांक 24.07.2025 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 811 के भाग (ग) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक- I :

अमृत के अंतर्गत वर्षा जल निकासी परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शुरू की गई कुल परियोजनाएँ		पूर्ण की गई परियोजनाएं		
		परियोजनाओं की संख्या	लागत (करोड़ रुपये में)	परियोजनाओं की संख्या	लागत (करोड़ रुपये में)	समाप्त किये गये जलभराव बिन्दुओं की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8	4.02	8	4.02	11
2	आंध्र प्रदेश	14	342.72	4	100.81	6
3	अरुणाचल प्रदेश	3	40.37	3	40.37	10
4	बिहार	3	237.99	2	79.21	13
5	दिल्ली	3	5.38	3	5.38	17
6	गुजरात	36	224.49	35	219.91	242
7	हरियाणा	19	452.37	18	323.26	241
8	हिमाचल प्रदेश	10	31.91	10	31.91	244
9	जम्मू और कश्मीर	36	184.73	36	184.73	179
10	कर्नाटक	83	238.06	83	238.06	128
11	केरल	535	363.4	524	339.42	1371
12	मध्य प्रदेश	23	248.32	23	248.32	223
13	महाराष्ट्र	1	94.06	1	94.06	20
14	मिजोरम	3	57.2	3	57.2	0
15	नागालैंड	8	79.75	3	22.67	0
16	राजस्थान	6	63.07	6	63.07	30
17	सिक्किम	25	14.91	25	14.91	853
18	उत्तराखंड	15	32.57	15	32.57	103
19	पश्चिम बंगाल	7	301.5	7	301.5	68
	कुल	838	3016.82	809	2401.38	3759

शहरी जल निकासी प्रणालियों के आधुनिकीकरण के संबंध में दिनांक 24.07.2025 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 811 के भाग (ग) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक- II:

अमृत 2.0 के अंतर्गत जलाशय पुनरुद्धार परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सं.	कुल परियोजना लागत (करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	196	522.04
2	अरुणाचल प्रदेश	4	12.32
3	असम	31	18.48
4	बिहार	7	11.6383
5	छत्तीसगढ	17	119.06
6	दिल्ली	45	157.303
7	गोवा	2	11.96
8	गुजरात	188	650.566
9	हिमाचल प्रदेश	19	8.39472
10	जम्मू और कश्मीर	50	19.2924
11	झारखंड	70	106.283
12	कर्नाटक	203	542.267
13	केरल	371	146.6429
14	लद्दाख	1	3
15	मध्य प्रदेश	430	511.7537
16	महाराष्ट्र	96	1535.869
17	मणिपुर	21	4.27643
18	मिजोरम	73	12
19	नागालैंड	1	0.76
20	ओडिशा	137	184,313
21	पुदुचेरी	9	9.1685
22	पंजाब	24	63.2699
23	राजस्थान	98	356.3304
24	सिक्किम	1	1.25
25	तमिलनाडु	474	229.1884
26	तेलंगाना	142	380.1057
27	त्रिपुरा	9	22.464
28	उत्तर प्रदेश	194	385.6363
29	उत्तराखंड	2	0.9668
30	पश्चिम बंगाल	117	184.059
	कुल	3032	6210.658

शहरी जल निकासी प्रणालियों के आधुनिकीकरण के संबंध में दिनांक 24.07.2025 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 811 के भाग (ग) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक- III:

एसबीएम-यू 2.0 के यूडब्ल्यूएम घटक के अंतर्गत आवंटित निधियों का राज्य-वार और वर्ष-वार जारी निधियों का विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मिशन आवंटन (करोड़ रुपये में)	केंद्रीय आवंटन 2021-22 (करोड़ रुपये में)	केंद्रीय आवंटन 2022-23 (करोड़ रुपये में)	केंद्रीय आवंटन 2023-24 (करोड़ रुपये में)	केंद्रीय आवंटन 2024-25 (करोड़ रुपये में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	694.10	2.20	150.00	0.00	3.75
3	अरुणाचल प्रदेश	79.30	0.56	0.00	19.27	0.00
4	असम	315.70	1.92	41.00	0.00	1.28
5	बिहार	666.50	2.86	0.00	0.00	163.77
6	चंडीगढ़	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ	414.60	3.38	162.46	0.00	0.57
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	23.10	0.06	0.00	0.00	0.00
9	दिल्ली	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
10	गोवा	56.90	0.28	2.87	0.00	0.00
11	गुजरात	806.90	3.30	0.00	10.15	68.92
12	हरियाणा	284.40	1.86	0.00	0.00	0.50
13	हिमाचल प्रदेश	101.00	1.22	0.00	24.01	0.00
14	जम्मू और कश्मीर	226.40	3.20	0.00	53.40	0.00
15	झारखंड	236.80	0.84	0.00	46.49	0.00
16	कर्नाटक	1128.60	5.74	0.00	232.41	0.00
17	केरल	521.70	1.88	0.00	0.00	0.00
18	लद्दाख	34.10	0.14	0.00	0.00	0.00
19	मध्य प्रदेश	1229.50	8.24	0.00	54.85	237.78

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मिशन आवंटन (करोड़ रुपये में)	केंद्रीय आवंटन 2021-22 (करोड़ रुपये में)	केंद्रीय आवंटन 2022-23 (करोड़ रुपये में)	केंद्रीय आवंटन 2023-24 (करोड़ रुपये में)	केंद्रीय आवंटन 2024-25 (करोड़ रुपये में)
20	महाराष्ट्र	1484.80	8.04	19.56	282.02	0.00
21	मणिपुर	58.70	0.54	4.85	0.00	9.28
22	मेघालय	40.80	0.20	0.00	10.00	0.00
23	मिजोरम	48.10	0.46	0.00	11.57	0.00
24	नागालैंड	103.27	0.78	0.00	25.04	0.00
25	ओडिशा	491.00	2.28	0.00	120.47	1.63
25	पुदुचेरी	26.08	0.20	7.96	0.00	0.00
27	पंजाब	589.00	3.32	87.42	0.00	0.63
28	राजस्थान	916.10	3.96	35.90	100.10	2.89
29	सिक्किम	9.80	0.14	0.00	2.31	0.00
30	तमिलनाडु	1999.70	13.32	326.75	0.00	160.50
31	तेलंगाना	463.10	2.82	182.42	0.00	0.00
32	त्रिपुरा	48.40	0.40	0.00	7.78	0.00
33	उत्तर प्रदेश	2117.20	14.48	0.00	256.31	0.00
34	उत्तराखंड	203.00	2.02	0.00	0.00	0.00
35	पश्चिम बंगाल	507.90	2.56	0.00	0.00	121.61